

पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2018

Polytechnic Entrance Competitive Examination – 2018

मार्ग-निर्देशिका

2018

महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि	10.04.2018
ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि	30.04.2018
परीक्षा की तिथि	19.05.2018

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पण्ड

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम-तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची – 10

Inquiry No.: 9264473893

Board's Website: - <http://jceceb.jharkhand.gov.in>

विषय सूची

<u>क्र.सं.</u>	<u>विवरण</u>	—	<u>पृष्ठ सं.</u>
1.	परिचय	—	3
2.	अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम	—	3
3.	संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी	—	3
4.	प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता	—	3
5.	आवासीय अर्हता	—	3
6.	शारीरिक योग्यता	—	3
7.	आयु सीमा	—	3 - 4
8.	संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क	—	4
9.	आरक्षण	—	4 - 5
10.	पोलिटैकनिक प्रवेश प्र. परीक्षा - 2018 के प्रश्न पत्रों के प्रकार	—	5
11.	प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन	—	5
12.	परीक्षा केन्द्र	—	5
13.	आवेदन करने का तरीका	—	5 - 6
14.	परीक्षा शुल्क	—	6
15.	आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश	—	6
16.	प्रवेश पत्र	—	6
17.	मेधा सूची का निर्माण	—	6
18.	पुर्नमूल्यांकन एवं पुर्नयोग	—	6
19.	प्रथम साक्षात्कार	—	6
20.	द्वितीय साक्षात्कार	—	7
21.	साक्षात्कार संबंधी सभी नियमों एवं वांछित प्रमाण-पत्रों की जानकारी	—	7
22.	शाखा एवं संस्थान परिवर्तन	—	7
23.	साक्षात्कार शुल्क	—	7
24.	आंशिक जमानत राशि	—	7
25.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ	—	7 - 8
26.	साक्षात्कार के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ	—	8 - 9

ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु चरणबद्ध निदेश	—	10 - 11
"झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान	—	12 - 13
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप	—	14
जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-(SC/ST) कोटि के लिए	—	15
जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप (BC - I/ BC - II) कोटि के लिए	—	16
शैक्षणिक सत्र 2017-18 की सीटों की संस्थानवार, शाखावार, कोटिवार, कोटावार सीटों की विवरणी एवं Fee Structure डाउनलोड कॉलम में देखी जा सकती है।		

पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा - 2018

Polytechnic Entrance Competitive Examination - 2018

मार्ग-निर्देशिका/ Prospectus

1. **परिचय** : झारखण्ड राज्य के राजकीय, गैर-राजकीय एवं पी.पी.पी. मोड पर संचालित डिप्लोमा अभियंत्रण संस्थानों तथा झारखण्ड गर्वनमेंट टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर, राँची/दुमका में अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सभी शाखाओं के शैक्षणिक सत्र 2018-19 के प्रथम वर्ष में नामांकन, पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा - 2018 के परीक्षाफल के आधार पर तैयार की गयी मेधा सूची से अभ्यर्थियों के मेधा-सह-इच्छा के आधार पर होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद द्वारा आयोजित की जायेगी।

2. **अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम** : इसके अन्तर्गत राजकीय, गैर - राजकीय एवं पी.पी.पी. मोड पर संचालित डिप्लोमा अभियंत्रण संस्थानों तथा झारखण्ड गर्वनमेंट टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर, राँची/दुमका के अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सभी शाखाएँ सम्मिलित हैं।

3. **संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी** : सभी संस्थानों के अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम अन्तर्गत शाखावार एवं कोटिवार सीटों की उपलब्धता पर्सद के वेबसाइट के Homepage पर Downloads कॉलम में देखी जा सकती है। यह विवरणी शैक्षणिक सत्र 2017-18 के आधार पर आधारित है जिसमें उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, राँची तथा उद्योग विभाग, राँची के आदेशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अद्यतन सीटों की जानकारी साक्षात्कार के समय दी जाएगी।

4. **प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता** :

(1) आवेदक को माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा में 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(2) माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा में परीक्षा वर्ष में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर

सकते हैं, बशर्ते साक्षात्कार तिथि के पूर्व उन्हें उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।

5. **आवासीय अर्हता** : प्रवेश परीक्षा में वे ही आवेदक भाग ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्यभाषा विभाग ने अधिसूचना झापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का. - 3198, दिनांक 18.04.2016 में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु अधिसूचना की प्रति इस मार्ग-निर्देशिका के अनुसूची-'क' में अंकित की गई है तथा इसे पर्सद के वेबसाइट के Homepage पर Act & Circular कॉलम में भी देखा जा सकता है।

आवेदक को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी [झारखण्ड राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त] द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। "स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र" का प्रपत्र इस मार्ग-निर्देशिका के अनुसूची - 'ख' में देखा जा सकता है।

6. **शारीरिक योग्यता** : साक्षात्कार के माध्यम से अनुशंसित अभ्यर्थियों को संस्थान में नामांकन के समय, निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा अयोग्य होने की स्थिति में संस्थान द्वारा नामांकन नहीं लिया जाएगा।

7. **आयु-सीमा** : अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित नहीं है। केवल खनन अभियंत्रण शाखा में

प्रवेश हेतु परीक्षा वर्ष के 1 जुलाई को न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होना आवश्यक है।

8. **संस्थान में नामांकन हेतु नामांकन शुल्क** : संस्थान में नामांकन हेतु नामांकन शुल्क की राशि के संबंध में जानकारी, साक्षात्कार के समय, पर्सद या/और संबंधित संस्थान द्वारा दी जायेगी।

9. **आरक्षण** :

9.1 **जाति आधारित आरक्षण** : राजकीय एवं गैर-राजकीय संस्थानों में नामांकन हेतु अनुशंसा के लिये पर्सद द्वारा झारखण्ड राज्य में लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

परन्तु आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में ही सक्षम पदाधिकारी [झारखण्ड राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त] द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, साक्षात्कार के समय, मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत [झारखण्ड राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त को छोड़कर] जाति प्रमाण-पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा (संदर्भ : का. प्र.सु. तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 7/आ0नि0-018-10/2003 का0 7072 दिनांक 30.12.2003) तथा उनका आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में मान्यता दी जायेगी। अनुसूचित जनजाति कोटि के लिये निर्धारित सीटों में से न्यूनतम 2% सीटें आदिम जनजाति समूह के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है, बशर्ते कि वे आवश्यक न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि की मेधा-सूची में स्वतः नहीं आते हों। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति कोटि के आरक्षण में क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/जाति-19-11/2008 का0-10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

जाति प्रमाण-पत्र का विहित प्रपत्र मार्ग-निर्देशिका के अनुसूची-ग एवं घ में देखा जा सकता है।

आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके आरक्षित सीटों का विनियमन नहीं किया जायेगा (संदर्भ: का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/नीति (आरक्षण)-06/2001 का0-5886, दिनांक 21.09.2011)।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0- 5555 दिनांक 28.06.2016 के आलोक में 2 प्रतिशत सीट आदिम जनजातियों के लिये क्षैतिज आरक्षण के रूप में उपलब्ध होगा जो अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों से विनियमित होगा।

नोट : आरक्षण के दावे के संबंध में अपने कोटि के बारे में संतुष्ट हो लें। यदि कोई संशय हो तो अपने अंचल/अनुमण्डल कार्यालय से सम्पर्क कर लें या पर्सद के वेबसाइट के Homepage पर Downloads कॉलम में अद्यतन आरक्षित कोटियों में अन्तर्निहित जातियों की विवरणी उपलब्ध है।

9.1 **सैन्य कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें (एस.एम.क्यू.)** : "A Guide to Resettlement of Ex-Service Men 1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement में दिये गये निर्देशों के अनुसार अधिसूचित सैन्यकर्मियों को ही यह सुविधा दी जायेगी।

सैन्य कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नांकित होगा :

1. कार्रवाई में मारे गए सैन्यकर्मियों के विधवा/आश्रितों
2. कार्रवाई में अपंग हुए सेवारत तथा सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों के आश्रितों
3. शांतिकाल में सैन्य सेवा के दौरान मरने वाले सैन्यकर्मियों के विधवा/आश्रितों
4. शांति काल में सैन्य सेवा के दौरान अपंग हुए सैन्यकर्मियों के आश्रितों
5. वीरता पदक प्राप्त सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों तथा सेवारत सैन्यकर्मियों के आश्रितों

6. सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों के आश्रितों
 7. सेवारत सैन्यकर्मियों के आश्रितों
 9.2.1 सैन्य कर्मचारी कोटा हेतु आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने हेतु सेवारत सैन्यकर्मियों/सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों के आश्रितों, दिवंगत सैन्यकर्मियों की विधवा तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना आदेशात्मक है :-

क) झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

ख) सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवारत सैनिक कर्मियों/अधिकारियों के लिये) या जिला सैनिक परिषद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवा निवृत्त सैन्य कर्मियों के लिये)

ग) सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)/पेंशन बुक।

9.3 **शारीरिक रूप से विकलांगों उम्मीदवारों हेतु आरक्षण** : अभियंत्रण डिप्लोमा संस्थानों में शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों के लिए सीटें आरक्षित हैं। शारीरिक रूप से विकलांग का अभिप्राय होगा जैसे आवेदक जो मूक या बधिर या शारीरिक विकलांग या सभी साथ हो तथा जिनके शरीर का निचला हिस्सा एवं उपरी हिस्सा या दोनों मिलाकर कम से कम 40 प्रतिशत आंशिक असमर्थ हो। शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को एक पूर्ण आकार का अपना फोटो देना होगा तथा जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति भी साक्षात्कार के समय देना होगा। ऑनलाईन आवेदन में सिर्फ अपना विकलांगता के प्रकार सम्बन्धी कोड भरें।

9.4 अल-कबीर पोलिटेकनिक, मानगो, जमशेदपुर में मुस्लिम समुदाय कोटा (एम.सी.क्यू.) के लिये 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

9.5 **निःशुल्क शिक्षा योजना** : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), नई दिल्ली के प्रावधानानुसार प्रत्येक स्वीकृत संस्थान के प्रत्येक शाखा के कुल सीटों के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस

प्रावधान के तहत जैसे अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जायेगी, जिनके पिता/माता/अभिभावक का सभी श्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख से कम है। इसके लिये उन्हें झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण-पत्र एक (1) साल के अन्दर का निर्गत होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत सभी सीटें अनारक्षित होगी, अर्थात् इन सीटों का आरक्षण से कोई संबंध नहीं होगा तथा सीटों का आबंटन मेधा-सह-इच्छा के आधार पर किया जायेगा।

10. **पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा - 2018 के प्रश्न पत्रों के प्रकार** : प्रश्न-पत्र द्विभाषी यथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार और बहु-विकल्प प्रकृति के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जायेगी। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प देने पर उन्हें अमान्य कर दिया जाएगा तथा इसकी गणना गलत उत्तर के अन्तर्गत की जायेगी।

पोलिटेकनिक प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र के विषय, परीक्षा की अवधि, पूर्णांक, परीक्षा का स्तर इत्यादि निम्नलिखित है :

परीक्षा की अवधि-2 घंटे 30 मिनट

(पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12.30 बजे अपराह्न तक)

प्रश्न-पत्र के विषय	पूर्णांक	परीक्षा का स्तर	परीक्षा की तिथि
भौतिक विज्ञान	50	माध्यमिक	19.05.2018 (शनिवार)
रसायन विज्ञान	50		
गणित	50		

नोट : किसी अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा की तिथि में झारखण्ड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद द्वारा फेर-बदल किया जा सकता है।

11. **पोलिटिकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन** : पोलिटिकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018 एक चरण में आयोजित की जायेगी।

12. **परीक्षा केन्द्र** : परीक्षा राँची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो एवं डाल्टेनगंज जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्रों में होगी।

13. **आवेदन करने का तरीका**: आवेदक को ऑनलाईन तरीके से आवेदन करना है।

पर्षद के वेबसाईट पर <http://jceceb.jharkhand.gov.in> पर "online Application for PECE – 2018" पर Click कर दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करते समय माध्यमिक परीक्षा का अंक पत्र (उत्तीर्णता प्राप्त कर लिये हों तो), स्कैन किया हुआ हाल का फोटोग्राफ एवं स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर एवं स्कैन किया हुआ अंगूठे का निशान तैयार रखें। किसी भी अनिवार्य कण्डिका को खाली नहीं छोड़ें। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट पर्षद कार्यालय को नहीं भेजना है। उसकी तीन-चार प्रिंट आउट रख लें, जिसकी भविष्य में जरूरत पड़ सकती है।

14. **परीक्षा शुल्क** : सामान्य/पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के आवेदकों को ₹ 650/- एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के महिला आवेदकों को ₹ 325/- परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है, जो अप्रतिदेय (non refundable) होगा।

ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क जमा करने का तरीका :-

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सारी जानकारियाँ समर्पित करने के उपरान्त परीक्षा शुल्क, पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जा सकता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग की सुविधा दी जायेगी।

15. **आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश** : आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व मार्गनिर्देशिका को भली-भाँति पढ़ लें।

गलत या अपूर्ण सूचना देने पर आवेदन को अस्वीकार/रद्द किया जा सकता है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन बाद में अनुमान्य नहीं होगा। फोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए तथा चेहरे के साथ-साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। फोटोग्राफ संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

16. **प्रवेश पत्र** : निर्धारित तिथि तक प्राप्त, पूर्ण रूप से भरे हुए, आवेदन-पत्र ही स्वीकार किए जायेंगे तथा परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश पत्र वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन डाउनलोड करने का विकल्प दिया जायेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का नाम, स्कैन फोटोग्राफ, जन्मतिथि, लिंग, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केन्द्र, पता, अनुक्रमांक एवं उनका आरक्षण कोटि दर्ज रहेगा। ऑनलाईन प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि के चार (4) दिन पूर्व वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रवेश-पत्र नहीं मिलने या फोटो/लिंग/कोटि में त्रुटि संशोधन हेतु पर्षद द्वारा परीक्षा से संबंधित जारी विज्ञापन जरूर देखें तथा उसमें दिये गये निर्देशों का पालन करें।

17. **मेधा सूची का निर्माण** : अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त मेधा सूची के साथ-साथ कोटि-वार मेधा सूचियों का निर्माण किया जायेगा। पोलिटिकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा। इस प्रवेश परीक्षा में दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उनका मेधा क्रम निम्न प्रकार से निर्धारित किया जायेगा :

क्रम सं०	स्थिति	मेधा क्रम का निर्धारण
1.	प्राप्तांकों को जोड़ समान होने पर	गणित विषय में प्राप्तांक के अनुसार
2.	स्थिति - 1 समान होने पर	भौतिक विज्ञान विषय में प्राप्तांक के अनुसार
3.	स्थिति - 1 एवं 2	जिनकी जन्म तिथि

	समान होने पर	पहले हो
4.	स्थिति - 1, 2, एवं 3 समान होने पर	प्रथम् नाम के अँग्रेजी वर्णाक्रमानुसार

18. **पुनर्मूल्यांकन एवं पुन्योग** : उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, दुबारा जोड़ आदि का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार किया जायेगा।

19. **प्रथम् साक्षात्कार** : प्रथम् साक्षात्कार के संबंध में अद्यतन जानकारी झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ-साथ पर्सद के वेबसाईट के माध्यम से दी जाएगी।

20. **द्वितीय साक्षात्कार** : प्रथम् साक्षात्कार के उपरांत यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो द्वितीय साक्षात्कार, उपर्युक्त की ही भांति, आयोजित किया जाएगा। इस साक्षात्कार में वैसे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, जो प्रथम् साक्षात्कार के माध्यम से अनुशंसित संस्थानों में या तो नामांकन ले चुके हैं या फिर शाखा/संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं। इसकी सूचना झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं पर्सद के वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

21. **साक्षात्कार सम्बंधी सभी नियमों एवं वांछित प्रमाण पत्रों की जानकारी हेतु सभी प्रमुख समाचार पत्रों के साथ-साथ पर्सद के वेबसाईट पर दी जायेगी।**

22. **शाखा एवं संस्थान परिवर्तन**: इस तरह के सभी मामलों पर पर्सद की ओर से परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। "नामांकन की प्रक्रिया समाप्ति के बाद प्रथम् वर्ष में संस्थान एवं शाखा परिवर्तन संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों के प्रमुख्य द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा नियंत्रक के निर्णय के प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।"

23. **साक्षात्कार शुल्क** : सभी सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर सामान्य/पिछड़ी जाति (I एवं II) कोटि के अभ्यर्थियों को ₹ 400/- (अनुसूचित जाति/ जनजाति कोटि/सभी कोटि के

महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/-) को RTGS या साक्षात्कार स्थल पर Card Swipe Machine पर Credit/Debit card Swipe कर जमा करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना साक्षात्कार संबंधी विज्ञापन में दी जायेगी।

24. **संस्थान/शाखा आवंटन हेतु आंशिक जमानत राशि**:- इसके संबंध में विस्तृत जानकारी साक्षात्कार हेतु प्रकाशित की जाने वाली विज्ञापन के माध्यम से दी जायेगी।

25. **अन्य आवश्यक सूचनाएँ** :

25.1 परीक्षा संबंधी सभी कार्यों का संचालन, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद की ओर से परीक्षा नियंत्रक करेंगे एवं उनके द्वारा लिये गये सभी निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे।

25.2 परीक्षा एवं साक्षात्कार संबंधी सभी अद्यतन जानकारी हेतु पर्सद के वेबसाईट के सम्पर्क में रहे।

25.3 इस मार्ग-निर्देशिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी संस्थान विशेष के संबंध में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं।

25.4 झारखण्ड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद को इस मार्ग-निर्देशिका में सन्निहित नियमों/प्रावधानों/सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों या/और पर्सद के वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

25.5 अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय प्रतियोगिता परीक्षा का, वेबसाईट से डाउनलोड किया गया, ऑनलाईन प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें।

25.6 यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, पहचान इत्यादि किसी भी समय असत्य पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थित्व तुरंत निरस्त कर दिया जायेगा और उनके विरुद्ध झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी, जिसमें कारावास तक का भी प्रावधान है।

25.7 कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वाद के अंतिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन से वंचित रखा जायगा। झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद के पक्ष में निर्णय होने पर पर्वद द्वारा वाद पर हुए सभी खर्च, ब्याज के साथ अभ्यर्थी से वसूल किया जा सकता है।

25.8 इस प्रतियोगिता परीक्षा के प्रक्रिया/आवेदन/आवंटन या अन्य किसी प्रकार के दावे से संबंधित विवाद केवल माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/राँची व्यवहार न्यायालय क्षेत्राधिकार के अन्दर ही दायर किए जायेंगे और वे ही मान्य होंगे।

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद के परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्वद वाद दायर कर सकेगा अथवा पर्वद के विरुद्ध दायर वाद में पर्वद का पक्ष रखा जा सकेगा।

25.9 साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ तथा उनकी एक-एक स्वअभिप्रमाणित छाया-प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थियों को सीट/शाखा/संस्थान आवंटन से वंचित कर दिया जायेगा। साक्षात्कार के समय प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ Xerox Copy या Fax Copy उपलब्ध कराने पर उसकी मान्यता, किसी भी परिस्थिति में, नहीं दी जाएगी।

1. माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (मूल या औपबधिक)।

2. झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।

3. झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/जाति-19-11/2008 का.-10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में

“क्रीमी लेयर” अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

4. झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी आय प्रमाण-पत्र (निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत आरक्षित सीट का लाभ लेने की स्थिति में मान्य होगा)।

5. जिला अस्पताल के असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र तथा एक फुल साईज (पूरे शरीर का) फोटोग्राफ (विकलांग कोटा का लाभ लेने की स्थिति में) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. एक (1) पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।

7. पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018 का प्रवेश पत्र। (यदि प्रवेश-पत्र गुम हो गया है तो सनहा की प्रति)

8. साक्षात्कार पत्र यदि पर्वद द्वारा प्रेषित किया गया हो।

9. सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवारत सैनिक कर्मियों/अधिकारियों के लिये) या जिला सैनिक परिषद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवा निवृत्त सैन्य कर्मियों के लिये) तथा सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)/पेंशन बुक (सैन्य कर्मचारी कोटा के अंतर्गत आरक्षित सीटों का लाभ लेने की स्थिति में)।

नोट : सिर्फ प्रवेश पत्र गुम हो जाने की स्थिति में ही सनहा की प्रति मान्य होगी, अन्य किसी भी प्रमाण-पत्र के मामले में नहीं।

26. साक्षात्कार के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ

26.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त ही, अपने दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र, संबंधित अनुमंडल/उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर लें।

26.2 साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

इसे नामांकन के समय संबंधित संस्थान में जमा करना अनिवार्य है।

26.3 साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा संबंधित कोटि के चालू साक्षात्कार के दौरान किसी साक्षात्कार दिवस में सभी वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध सीटों/शाखाओं/संस्थानों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

26.4 अगर कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वांछित/निर्धारित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा अपनी पहचान स्थापित नहीं करते हैं अथवा डाक्टररी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो जैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी चालू साक्षात्कार के लिये स्वतः रद्द समझी जाएगी।

26.5 साक्षात्कार, संयुक्त मेधा सूची के अनुसार आयोजित की जायेगी। आरक्षित कोटि/कोटा यथा SC/ST/BC-I/BC-II/MCQ/PH, के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे अनारक्षित कोटि के साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए उपलब्ध सीटों/शाखाओं/संस्थानों के साथ-साथ अपने आरक्षित कोटि/कोटा के लिए उपलब्ध सीटों/शाखाओं/संस्थानों का चयन कर सकते हैं। अतः वे अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में, साक्षात्कार के समय, जाति प्रमाण-पत्र अवश्य प्रस्तुत करें।

26.6 सीट, शाखा एवं संस्थान आवंटन के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों, उनके हस्ताक्षर तथा पहचान की छान-बीन की जायेगी।

जाली प्रमाण-पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध

भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं पर्षद द्वारा भविष्य में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा।

26.7 पात्रता प्राप्त एवं चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थान में नामांकन के समय निबंधित चिकित्सक द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में नामांकन नहीं होगा।

26.8 अभ्यर्थी को सीट आवंटन के उपरान्त निर्धारित तिथि तक नामांकन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आवंटन पत्र स्वतः रद्द समझा जाएगा।

26.9 साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की मेधा क्रम पर उपलब्ध रिक्त सीटों में से अभ्यर्थी को सीट/शाखा/संस्थान का आवंटन, मेधा-सह-इच्छा के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है। साक्षात्कार हेतु प्रकाशित की जाने वाली मेधा सूची में अन्तर्निहित सभी अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु अनुशंसा की गारंटी नहीं है। प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।

26.10 नामांकन के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा Anti Ragging के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के आलोक में, सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को, अपने-अपने आवंटित संस्थानों में, निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का प्रारूप पर्षद के वेबसाइट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है।

26.11 साक्षात्कार की समाप्ति के उपरान्त रिक्त बचे सीटों की विवरणी प्रति दिन पर्षद के वेबसाइट पर देखा जा सकेगा।

परीक्षा नियंत्रक

आवेदन भरने हेतु चरणबद्ध निर्देश

आवेदन पत्र भरने के पूर्व मार्ग-निर्देशिका का भली-भाँति अध्ययन कर लें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि आवेदन भरते समय न हो। आवेदन करते समय स्कैन किया हुआ हाल का फोटोग्राफ, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर एवं बायें हाथ का अंगुठे का निशान तैयार रखें।

पर्सद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> पर "Online Application for P.E.C.E. – 2018" link पर Click करें। Online आवेदन करने हेतु Online Application Process को तीन चरणों में विभक्त किया गया है :-

- Application Form Filling
- Image Uploading
- Application Fee Payment

प्रथम चरण – Application Form Filling :- उपलब्ध आवेदन पत्र में माँगी गयी निम्नवत् जानकारीयों को भरें :-

- **Personal Details :-** जैसे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, (The name of the Applicant and his/her parent's name in the Application form must exactly be the same as registered in class 10th/equivalent qualifying Examination. No prefix/title such as Mr/Shri/Fr/Dr/Mrs/Smt/Col etc should be used.) जन्मतिथि, लिंग, Type of Resident of Jharkhand, कोटि, Person with disability (PwD), Type of relevant SMQ, Annual Family Income, Muslim Minority (Yes/No.), Nationality, Aadhaar Number आदि भरना होगा। अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत यदि आदिम जनजाति समूह में आते हों तो, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अपना आदिम जनजाति समूह में से अपना उप-जाति चुनना आवश्यक है।
- **Choice of Examination Centre City:-** सुविधानुसार प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा केन्द्र के शहर को चुनें।
- **Educational details :-** Academic Details भरना है, जैसे Name of the School, Name of the Board, Roll No., Year of Passing, Percentage of Marks ।

यदि अंक पत्र में **Marks obtained** के स्थान पर **CGPA** दिया गया हो तो **CGPA** को दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए उसे **Percentage of Marks** में बदल लें। उसे ही **Percentage of Marks** कॉलम में भरें। {उदाहरण के तौर पर यदि किसी आवेदक जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से 10वीं कक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किये है, के अंक पत्र में **CGPA = 6.5** है तो उसका समतुल्य **Percentage of Marks = 6.5 X 9.5 = 61.75 %** होगा}

Appearing Candidates, Appearing का विकल्प चुनें।

- Communication details :- अपना Communication Address भरें।
- Password :- पासवर्ड बनायें एवं अपने बनाये गये पासवर्ड को किसी के साथ साझा (Share) न करें अन्यथा पासवर्ड के दुरुपयोग की जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी।
- Submit बटन पर Click करें।

Disclaimer Clause को पढ़ें तथा I Agree बटन पर Click करें। अब आपके द्वारा भरा गया आवेदन दिखाई पड़ेगा। अपने भरे गये व्यौरे को पुनः जाँच लें तथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लें। यदि आप Edit करना चाहें तो Edit बटन पर Click कर Edit कर लें तथा Final Submit पर Click करें। प्रथम चरण पूर्ण होने पर आपका आवेदन पत्र का Review दिखाई पड़ेगा जिसमें आपका आवेदन पत्र संख्या भी दिखाई देगा।

आवेदन पत्र संख्या (Application No.) एवं Password को भविष्य के लिए सुरक्षित लिखकर रख लें। दुबारा Login करने के लिए Application No. एवं Password की आवश्यकता पड़ेगी।

द्वितीय चरण :- Image Uploading :- स्कैन किया हुआ हाल का फोटोग्राफ (4 KB to 100 KB), स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (1 KB to 30 KB), एवं बायें हाथ का अंगुठे का निशान (1 KB to 30 KB), अपलोड कर Security pin को भर कर Upload बटन पर Click करें।

तृतीय चरण :- Application Fee Payment :- Application Fee Payment :- Payment पर Click करें। Payment पर Click करने के उपरान्त Bank Collect का स्क्रीन आयेगा। स्क्रीन पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

Successfully भुगतान करने के उपरान्त वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> पर "Online Application for PECE – 2018" link पर Click कर "Only Registered Candidates Sign In" पर Sign In (Application No. एवं Password की सहायता से) कर अपना आवेदन पत्र Print कर लें तथा Print out निकाल कर सुरक्षित रख लें। प्राप्त आवेदन पत्र (confirmation page) को पर्थद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसकी उपयोगिता भविष्य में होगी।

.....

अनुसूची - 'क'

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3158

18-04-2016

विषय : "झारखंड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान।

स्थानीय व्यक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाओं डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 4056/2002 एवं 3912/2002 में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 27.11.2002 को निरस्त कर दिया गया और "स्थानीय व्यक्ति" को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश गठित करने के मामले में सरकार से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई।


2. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा एवं पहचान के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों से गहन विचार विमर्श के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड का स्थानीय निवासी वैसे भारतीय नागरिक को माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त पूरी करता हो, :-

- (i) झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित होगी।
- (ii) किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (iii) झारखंड राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी या उनकी पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

- (iv) भारत सरकार का पदाधिकारी/ कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (v) झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक (statutory) पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (vi) ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।


आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


18.4.16
(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.-3198 / रांची, दिनांक 18-04-21
प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।


18.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.-3198 / रांची, दिनांक 18-04-21
प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.-3198 / रांची, दिनांक 18-04-21
प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची - 'ख'

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या - 14/स्थानीयता नीति-14-03/2016 का 0 4650, दिनांक 02 जून 2016 के आलोक में झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति श्री पता - ग्राम/वार्ड/शहर
पो 0 थाना जिला के
स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या - 3198 दिनांक 18.04.2016 की कंडिका - में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र-I

.....
(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र

(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :-.....

तिथि :-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री, निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
....., डाकघर, थाना, जिला .
....., राज्य अनुसूचित जाति */ अनुसूचित
जनजाति * श्रेणी के अन्तर्गत जाति/उप जाति के सदस्य हैं,
जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति */ अनुसूचित जनजाति * के रूप में
मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी एवं/अथवा उनका/उनकी
परिवार साधारणतः गांव/कस्बा शहरजिला
..... राज्य में निवास करते हैं ।

स्थान :-

तिथि :-

हस्ताक्षर,

सक्षम पदाधिकारी का

नाम

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

अनुसूची - 'घ'

प्रपत्र-II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... पुत्र/पुत्री ग्राम/शहर
..... थाना जिला झारखण्ड के रहने
वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001*,** की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त
..... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0(एस.सी. टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि :-

नाम

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008 4450 दिनांक 01.08.2011, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।